"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2013—आश्विन 8, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–6/2013/29/खाद्य–2.— छत्तीसगढ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 2 अक्टूबर, 2013 के रूप में वह तिथि नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 4, धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा धारा 7 के प्रावधान प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10–6/2013/29/खाद्य–2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 28th September 2013

NOTIFICATION

No. F 10-6/2013/29/Food-2.— In exercise of the Powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, appoints 22nd October, 2013 as the date on which the provisions of Section 4, clause (a) of sub-section (1) of Section 5 and Section 7 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–6/2013/29/खाद्य–2.— छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त/संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों से संबंधित आदेश अथवा निर्देश जारी करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करती है, अर्थात् :-

1. अधिनियम में विहित अनुसार, आंगनबाड़ी केन्द्र में नामांकित 6 माह से 6 वर्ष के आयु समूह के सामान्य एवं कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं को (नि:शुल्क) पूरक पोषाहार का वितरण.

2. हितग्राहियों का सर्वे द्वारा चिन्हांकन, नामांकन एवं नामांकित हितग्राहियों को (नि:शुल्क) पूरक पोषाहार के वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10–6/2013/29/खाद्य–2 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 28th September 2013

NOTIFICATION

No. F 10-6/2013/29/Food-2.— In exercise of the Powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), The State Government, hereby, delegates the powers to the Commissioner/Director, Directorate of Women and Child Development to issue orders or instructions related to the following matters under his jurisdiction, namely :-

1. Distribution of supplementary Nutrition (Free of Charge) to the normal and malnourished children of age group of 6 months to 6 years, pregnant women and lactating mothers enrolled in Anganwadi Centers, as precribed in the act.

2. Fixation of the process of identification by survey of the beneficiaries, enrolment and distribution of the supplementary nutrition (Free of charge) to enrolled beneficiaries.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.